रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 1991/आश्विन 22, 1913

No. 371] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 1991/ASVINA 22, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1991

सा.का.नि. 628(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पत्तन न्यास (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12012/14/90-पी.ई. 1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध-I

संकल्प संख्या 32

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

सचिव का कार्यालय,
पोस्ट बॉक्स सं. 50,
गांधीधाम (कच्छ)

सं. . . . .

दिनांक :

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1990 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम 1991 कहे जायेंगे।

2. इन विनियमों में संलग्न अधीक्षक अभियंता (अपतट तेल टर्मिनल) वाडीनार के पद से संबंधित भर्ती नियमों को कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1990 की संलग्न अनुसूची में जोड़ा जाए।

सचिव
कांडला पोर्ट ट्रस्ट

पाद टिप्पणी : सा.का.नि. 83(ई) के अधीन मुख्य विनियम प्रकाशित हो चुके हैं।

पद का नाम	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु-सीमा	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति [स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं
1	2	3	4	5	6
अधीक्षक अभियंता (अपतट तेल टर्मिनल) वाडीनार	रु. 2090-75-2390-100-2890	चयन पद	45 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य : किसी मान्य विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समतुल्य। अनुभव : उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमता से सिविल अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं अर्थात् भवन, सड़क, जलापूर्ति, अपवाह कार्य आदि का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव जिनमें से अधिशासी अभियंता या समतुल्य श्रेणी में काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।	आयु : शून्य शैक्षणिक : हां

परिवीक्षा काल	भर्ती की पद्धति क्या वह सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जानी है	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
7	8	9	10
2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा तथापि वैसा न होने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा: महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में समकक्ष पद पर काम करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने अधिशासी अभियंता के समतुल्य निचले पद पर अथवा उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी)।	(1) जल भूतल परिवहन मंत्रालय अवर सचिव/संयुक्त सचिव—अध्यक्ष (2) अध्यक्ष कांडला पोर्ट ट्रस्ट—सदस्य (3) जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विकास सलाहकार—सदस्य।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1991

G.S.R. 628 (E).—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (i) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Amendment Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12012/14/90-PE.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Annexure-VI

Item No. 4

KANDLA PORT TRUST

Secretary's Office,
Post Box No.50,
Gandhidham-Kutch.
Dt.

No.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following amendment to the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1990, namely :

(1) These regulations may be called Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Amendment Regulations 1991.

(2) The recruitment rules for the post of Superintending Engineer (Offshore Oil Terminal) Vadinar appended to these regulations shall be added to the Schedules appended to the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1990.

Secretary
Kandla Port Trust

Foot note :–The principal regulations were published under GSR 83(E).

Name of post	Pay scale	Whether selection or non selection.	Age limit for direct recruitment.	Education & other qualifications required for direct recruitment.
1	2	3	4	5
Superintending Engineer (Off Shore Oil Terminal) Vadinar.	Rs.2090-75-2390-100-2890.	Selection	Not exceeding 45 years.	Essential : Degree in Civil Engg. of a recognised University or equivalent. Experience : 10 years experience in a responsible capacity in various branches of Civil Engineering namely buildings, roads, water supply, drainage works etc. A mnimum 5 years experience should be in the grade of Executive Engineer or equivalent.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/transfer/deputation.	Period of probation.	Method of recruitment whether by direct recruitmnet or by promotion/deputation/transfer.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which deputation/transfer to be made.	The composition of Selection Committee.
6	7	8	9	10
Age : No. Edu : Yes.	2 years	By promotion failing which by transfer/deputation, failing both by direct recruitment.	By promotion/Transfer/deputation: Officers holding analogous posts or with 5 years regular service in the lower post equivalent to or above Executive Engineer in a Major Port Trust/Govt. or semi/Govt. department/public sector or Autonomous body. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(1) Additional Secy./Joint Secy./Min. of Surface Transport – Chairman. (2) Chairman, K.P.T.—Member. (3) Development Advisor, Min. of Surface Transport—Member

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991